



दिनांक 22.03.2023

प्रेस विज्ञप्ति 24 / 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सम्बल/थाना चन्दौसी

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि बरामद

दिनांक 22.03.2023 को थाना चन्दौसी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेहतरी रेलवे फाटक के पास से अभियुक्त राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि थाना चन्दौसी पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजा निवासी बदायूं चुंगी कस्बा व थाना चन्दौसी जनपद सम्बल।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद महोबा/थाना श्रीनगर

- अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 05 अवैध तमंचा 315 बोर, मय जीवित कारतूस
- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 22.03.2023 को थाना श्रीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिलखी तिराहा के पास से अवैध शस्त्र तस्करी करने वाले 02

अभियुक्तों 1—गोलू 2—देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध तमंचा 315 बोर, मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना श्रीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गोलू निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा।

2—देवेन्द्र निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा।

बरामदगी

1—05 अवैध तमंचा 315 बोर, मय जीवित कारतूस।

1—01 मोटर साइकिल।

जनपद रायबरेली / थाना मिलएरिया

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- 52 किलोग्राम अवैध गांजा
- 01 बोलेरो लोडर बरामद

दिनांक 22.03.2023 को थाना मिलएरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खसपरी शारदा नहर पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1—सदाशिव 2—सुभम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 52 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 बोलेरो लोडर बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सदाशिव निवासी ग्राम सराय गोपाल भद्री थाना सोरांव कमिशनरेट प्रयागराज।

2—सुभम निवासी ग्राम सराय गोपाल भद्री थाना सोरांव कमिशनरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1-52 किलोग्राम अवैध गांजा।

2-01 बोलेरो लोडर।

➤ जनपद एटा/थाना सकरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 80-80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉक्सो एक्ट) जनपद एटा द्वारा थाना सकरौली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त धर्मन्द्र को धारा 363/366 भादवि व धारा 376 भादवि सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 12 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता को धारा 363/366 भादवि व धारा 17 सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 12 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-46 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त इमरान को धारा 363/366/342 भादवि व 5/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड, अभियुक्त मुजम्मिल को धारा 363/366/323/342 भादवि व 5(स)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता के धारा 363/366 भादवि व 5/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मात्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 28 हजार 500 रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मात्र न्यायालय एएसजे/पॉक्सो एकट कोर्ट संख्या—45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376/504/352 भादवि व 4 पॉक्सो एकट के अन्तर्गत अभियुक्त जसवन्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 28 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
